ए. के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

कार्यालय
मुख्य भवन कक्ष सं.-93/94
उ. प्र. सचिवालय,
लखनऊ-01

दिनांक : 10/11/2025

पत्रांक – अर्द्ध. शा./ 224 /मं.न.वि.ऊ./2025

विषय: बिजली बिल राहत योजना -2025

माननीय जी,

आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू ऐतिहासिक "बिजली बिल राहत योजना- 2025" लागू की गई है।

यह राहत योजना आगामी 1 दिसंबर से लागू होगी और तीन चरण में तीन महीने तक चलेगी।

इस ऐतिहासिक योजना में...

- लेट पेमेंट सरचार्ज (दंड एवं व्याज) में 100 प्रतिशत तक की छूट दिया है। व्याज की यह छूट तीनों चरण में उपलब्ध होगी।
- बिल के मूलघन में भी पहली बार 25 प्रतिशत तक की भारी छूट दी है।
- बकाया बिल और वर्तमान बिल को अलग किया गया है।
- अब वर्तमान में नियमित बिल भरने वाले अपना पिछला बकाया रुपया 500/750 की आसान किश्तों में भर सकते हैं। इस पर अंतिम किश्त तक बाक़ी रहने वाली रकम पर कोई व्याज नहीं लगेगा।
- सामान्य से बढ़ा हुआ बिल आने पर औसत बिल भरने का प्राविधान किया है।
- आपराधिक केसों में निर्धारित कर पर 50 प्रतिशत तक की भारी छूट दी गई है।

इतनी उदार योजना पहले कहीं नहीं आई; कभी नहीं आई।

आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ लेने की प्रेरणा और नेतृत्व प्रदान करें।
साथ ही हमारे विभागीय कर्मियों का इस योजना को जन-जन तक पहुँचा कर सफल बनाने हेतु मार्गदर्शन करें।

सादर धन्यवाद।

आपका ही

(ए. के. शर्मा)
ऊर्जा मंत्री

लखनऊ
10/11/2025

प्रति-
माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय महापौर, माननीय अध्यक्ष नगरपालिका, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय ब्लॉक प्रमुख, माननीय ग्राम प्रधान , माननीय पार्षद/सभासद नगर निकाय, माननीय सदस्य जिला पंचायत/ब्लॉक पंचायत/ग्राम पंचायत एवं अन्य माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा देवतुल्य कार्यकर्त्तागण।

दूरभाष (का.)-+91-0522-2238070/+91-0522-2213290, (आ.)-+91-0522-2972671/+91-0522-4322848, ई-मेल-minister.ude@up.gov.in
aksharmaBharat.in, urbandevelopment.up.nic.in, upenergy.in
@aksharmaBharatpage @aksharmaBharat